निबंधन सं0 पी0 टी0—40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1930 (श0)

(सं0 पटना 295) पटना, बुधवार, 30 अप्रील 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अप्रील 2008

सं०-एल०जी०-1-05/2008/लेज-99—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रील, 2008 को अनुमति दें चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

[बिहार अधिनियम, 18, 2008]

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना।- चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आय सृजन के बढ़ोत्तरी के उद्देश्य के लिए कृषि का समेकित विकास करना सरकार की एक प्राथमिकता है;

तथा चूंकि, यह महसूस किया जाता है कि सहकारी समितियां विशेषकर प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी एवं इसी तरह की अन्य प्राथमिक सोसाइटी एवं संघ या परिसंघ कृषि के विकास में उपादान आपूर्त्ति के साथ ही कृषि उत्पाद के विपणन एवं उनके परिष्करण में एक मुख्य भूमिका अदा कर सकती है;

तथा चूंकि, यह आवश्यक है कि साख सहकारी सोसाइटी एवं इस तरह के अन्य प्रत्येक स्तर की सोसाइटी द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तदायी सेवाओं में सुधार तथा अल्पकालिन सहकारी साख संरचना के पुनरूत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा गठित वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा के मद्देनजर सुधार को लागू किया जा सके, जिससे वे अधिक प्रजातांत्रिक, अधिक सुशासित एवं व्यावसायिक प्रबन्धित हो सके;

तथा चूंकि, यह उचित प्रतीत होता है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का गठन ग्राम-पंचायत के क्षेत्र के अनुरूप किया जाए और आगे इस तरह की अन्य सहकारी समितियों का गठन पंचायत स्तर पर करने का प्रयास किया जाए। ताकि इस तरह की समितियों में समानता प्राप्त हो सके तथा समितियों द्वारा प्रदान किये जाने वाली सेवाएं प्राप्त करना सुगम हो जाए।

तथा चूंकि, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में कई संशोधन करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 (ग) के बाद अंतः स्थापन।- बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935

की धारा-2 (ग) के बाद निम्नलिखित (ग ग) जोड़ा जाएगा, यथा "2 (ग ग)" "सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार"

3. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 (त) के बाद जोड़ा जाना। - बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 (त) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

(थ) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना" में शामिल है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी;

(द) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम 61, 1981) की धारा-6 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक;

(घ) "रिजर्व बैंक" से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम 2, 34) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक;

(न) "सम्बद्ध क सोसाइटी" से अभिप्रेत है निबंधित सोसाइटी जिसका दूसरी निबंधित सोसाइटी सदस्य है, और सम्बद्ध सोसाइटी का अर्थ है निबंधित सोसाइटी जो सम्बद्धक सोसाइटी का सदस्य है।

(ट) "पंचायत" से अभिप्रेत है बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा-11 एवं समय-समय पर उक्त में संशोधन के द्वारा अधिसूचित ग्राम-पंचायत।

4. अधिनियम 6, 1935 की धारा-11 के बाद एक नई धारा-11"क" का जोड़ा जाना ।- बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-11 के बाद निम्नलिखित धारा-11 क जोड़ी जाएगी - "11 क सहकारी समितियों का निबन्धन जो इस अधिनियम द्वारा निबंधित नहीं है।- जहां बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-5 के अन्तर्गत निबंधित समिति इस अधिनियम के अधीन सहकारी समिति के रूप में सम्परिवर्तित करने का निर्णय लेती है, इस प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन लिखित प्रावधानों एवं सरकार के निर्णय के अनुरूप निबंधन हेतु आवेदन करेगी।"

5. अधिनियम 6, 1935 की धारा-14 के बाद एक नई धारा-14क का जोड़ा जाना।- बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-14क जोड़ी जाएगी :-

"14 क । - कुछ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन। -

(1) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित कर सकती है कि एक सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन का संचालन एक प्राधिकार इस प्राधिकार को किसी नाम से जाना जाएगा, इस अधिनियम, नियमावली और या अन्य कोई इकाई, संगठन, कमिटी आदि निबंधित सोसाइटी के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन संचालन हेतु बनाया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से यह प्राधिकार निर्वाचन संचालित करेगा।

(2) इस अधिनियम तत्सम्बन्धित बनाए गए नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उप-विधियों के प्रावधान के होते हुए भी, सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन इस धारा के प्रावधान के तहत् अधिसूचित इस धारा की उप-धरा (1) के अन्तर्गत, उक्त अधिसूचना की तिथि के बाद यदि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, लेकिन उक्त निर्वाचन की घोषणा की तिथि के पूर्व सम्पन्न होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (9), तत्सम्बन्धित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उपविधियां के प्रावधान के होते हुए भी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्गों या वर्गो के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन इस धारा की अधिसूचित उप-धारा (1) के तहत् अधिसूचना की तिथि से छह माह के अन्दर होगा, जिसका विस्तार अगले छह माह तक किया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (9), तत्सम्बन्धित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उपविधियां के प्रावधान के होते हुए भी, यदि उस निबंधित सोसाइटी के प्रबन्ध समिति का कार्यकाल इस धारा के अधिसूचित उप-धारा(1) के अधीन अधिसूचना के उपरान्त समाप्त हो जाता है, तो भी, उस प्रबन्ध समिति का उस समय तक अवधि विस्तार हो जाएगा, जब तक कि उप-धारा के प्रावधान के अनुरूप निर्वाचन से प्रबन्ध समिति गठित नहीं हो जाती है।

(5) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की प्रबन्ध समिति इस धारा की उप-धारा-(4) के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् अवक्रमित होता है अथवा धारा-14 की उप-धारा (9) के तहत् पदावधि समाप्ति के पहले उक्त समिति के प्रबन्ध समिति चाहे जो कारणवश पदमुक्त हो जाते हैं, तो इस धारा की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के तहत् विहित उसी प्राधिकार के द्वारा प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन कराया जायेगा। उक्त प्रबन्ध समिति की पदावधि पूर्ववर्त्ती प्रबन्ध समिति द्वारा बिताई गई पदावधि में अवक्रमण की अवधि आदि यदि हो, शामिल होगी जो कि धारा-14 की उप-धारा (9) के प्रावधानों के अधीन विहित अवधि से अधिक नहीं होगी।

(6) उप-धारा (1) के तहत् अधिसूचित वर्गों अथवा किसी वर्ग की कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के निर्वाचन के परिणाम के 90 दिनों के अन्दर दाखिल एक निर्वाचन याचिका को छोड़ कर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जायगा एवं उसे इस अधिनियम की धारा-48 के अधीन विवाद के रूप में विनिश्चय किया जायगा। ऐसे निर्वाचन याचिका को रजिस्ट्रार अथवा इस अधिनियम की धारा-6 के अधीन रजिस्ट्रार के सहायतार्थ नियुक्त ऐसे अन्य पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा।

6. अधिनियम 6, 1935 की धारा-44 क थ में संशोधन।-

(1) उक्त अधिनियम की धारा-44 क थ की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी—

"(2) (क) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, इस अध्याय के अध्यधीन सोसाइटियों के प्रचालन में एकरूपता लाने हेतु उनके मजबूती एवं उपयोगिता को बढ़ाने एवं कृषि विकास के उद्देश्य के लिए उन्हें सक्षम (भायबुल) बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी साख सोसाइटी का क्षेत्र पंचायत के सह-अंतक होगा एवं प्रत्येक पंचायत में केवल एक जैसा सोसाइटी होगा।

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का क्षेत्र इस उप-धारा की उप-कंडिका (क) के प्रावधनों के अनुरूप नहीं पाया जायेगा, तो रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार की ओर से काम करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो कि सहायक निबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो। यह आदेश द्वारा एक या एक से अधिक सोसाइटियों जैसा कि मामला हो के विखण्डन अथवा संविलियन जिसमें कि पुनर्गठन शामिल हों के लिए आदेश कर सकेगा एवं वैसे पुनर्गठन के पश्चात् नई सोसाइटी/सोसाइटियों का निबंधन कर सकेगा।

(2) उक्त अधिनियम की धारा-44 क थ की उप-धारा (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस उप-धारा (2) के अधीन पुनर्गठित सोसायटी या सोसायटियां अपने प्रबन्ध समिति के साथ विघटित समझे जायेंगे एवं इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन नई सोसायटी/सोसायटियां के निबंधन की तिथि से पदमुक्त समझे जायेंगे एवं वैसे रजिस्ट्रीकृत सोसायटी की सदस्यता पंचायत के लिए सृजित अपने-अपने प्राथमिक कृषि साख सोसायटी में हस्तान्तरित समझे जायेगे। जो कि उप-धारा (2) के अधीन पुनर्गठन के पश्चात् वैसे सदस्य जो उस पंचायत से सम्बंध रखता हो एवं उनके सभी आस्तियां व दायित्व नये सोसायटी/सोसायटियों में बांट लिया जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार/सरकार द्वारा रीति विहित हो:

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन सृजित नई सोसायटी/सोसायटियों के दायित्वों के अधिस्थान की घोषणा कर सकेगा।"

(3) उक्त अधिनियम की धारा-44 क थ की उप-धारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

"4 (क) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन सोसाइटियों के पुनर्गठन एवं इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन नई सोसायटी/सोसायटियों के स्थापना हेतु रजिस्ट्रार/सरकार वैसे समय जब तक नई प्रबन्ध समिति का गठन न हो जाये तदर्थ प्रबन्ध समिति गठित करेगा अथवा तदर्थ प्रबन्ध समिति के गठन हेतु प्रावधान विहित करेगा एवं तदर्थ प्रबन्ध समिति जो गठित होगी प्रावधानों के अनुसार कृत्यों का पालन एवं वैसे शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसा कि विहित हो।

(ख) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस उप-धारा की कंडिका (क) के अधीन निर्वाचन के पश्चात् नई प्रबन्ध समिति के गठन के बावत सभी वैसे सम्बद्ध सोसायटियों के प्रबन्ध समिति जिसके प्राथमिक कृषि साख सोसायटी सदस्य हो या वैसे सम्बद्ध सोसायटियों या परिसंघ का इस अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन गठन किया जाएगा ताकि वैसे सोसायटियों के प्रबन्ध समिति को गठित किया जा सके।

(4) अधिनियम की धारा-44 क, थ की उप-धारा (5) विलोपित की जायेगी।

(5) अधिनियम की धारा-44क, थ की उप-धारा (6) में शब्द "उप-धारा (5)" शब्द "उप-धारा (2)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा शब्द "एक रुपया का सदस्यता शुल्क" शब्द "सदस्यता शुल्क" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. अधिनियम 6, 1935 के अध्याय VI-ग के पश्चात् एक नया अध्याय VI-घ का जोड़ा जाना।- बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 के अध्याय VI-ग के बाद अध्याय VI-घ जोड़ी जायेगी यथा:-

अध्याय VI-घ

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के प्रयोज्य विशेष उपबंध

44 क न।- अध्याय VI-घ का अधिभावी प्रभावी होना ।- इस अधिनियम के किसी दूसरे अध्याय अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा।

44 क प ।-प्राथमिक कृषि साख सोसायटी के जमाकर्त्ताओं एवं उधारकर्त्ताओं के लिए सदस्यता सुनिश्चित करना ।- प्रत्येक व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख सोसायटी के उधारकर्त्ता या जमाकर्त्ता हों या ऐसी समिति के जमाकर्त्ता या उधारकर्त्ता बनना चाहते हों तो उन्हें धारा-44 क थ (AQ) की उप-धारा (6) के शर्त्तों के अधीन उस समिति का सदस्य पूर्ण मताधिकार के साथ सदस्य अथवा सह सदस्य बनाया जा सकेगा।

44 क फ ।- सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता ।- अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसायटी को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता निम्न क्षेत्रों सहित प्राप्त होगा :-

(क) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप जमा एवं ऋणों पर सूद दर।

(ख) उधार एवं निवेश

(ग) ऋण नीति एवं वैयक्तिक ऋण निर्णय

(घ) कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्त्ती, पदस्थापन एवं मुआवजा तथा

(ड.) अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए क्षतिपूर्त्ति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।

44 क ब ।-राज्य सरकार के अंशदान की सीमा—

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान उस सोसायटी के कुल प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार या ऐसी सोसायटी राज्य सरकार के अपने अंशदान घटाने के लिए स्वतंत्र होगी और सोसायटी को ऐसा करने से राज्य सरकार द्वारा नहीं रोका जाएगा।

44 क भ।- सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या पर प्रतिबंध।-(1) राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध समिति में सरकार का केवल एक नामित सदस्य (Nominee) होगा।

(2) प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबन्ध समिति में सरकार का कोई नामित सदस्य (Nominee) नहीं होगा।

44 क म।-सम्बद्धक सोसायटी की सदस्यता।- (1) (क) सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी समिति बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियां अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित समिति सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(2) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी समिति अपने पसन्द की संबंद्धक समिति का सदस्य हो सकता है अथवा उस समिति की सदस्यता छोड़ सकता है।

44 ख क। कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रतिबंध।- अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत किसी सोसायटी को व्यवसाय करने के लिए कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

44 ख ख- जमा निवेश की स्वतंत्रता।- अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सोसायटी को अपने निधि को रिजर्व बैंक के द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देश के अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था में निवेश अथवा जमा करने की स्वतंत्रता रहेगी।

44 ख ग।- उधार लेने की स्वतंत्रता।- अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसायटी रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं पुनर्वित्त राष्ट्रीय बैंक या किसी दूसरे पुनर्वित्त एजेन्सी से प्रत्यक्षत: अथवा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अपने पसंद की किसी भी वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकेगा ये सहकारी सोसायटी संबद्धक समिति से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

44 ख घ।— प्राथमिक कृषि साख सोसायटी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु दिशा निर्देश ।-राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से प्राथमिक कृषि साख सोसायटी द्वारा लाभांश भुगतान करने हेतु निबंधक सामान्य दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

44 ख ड.।— किसी मद में अंशदान ।- अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत कोई भी समिति अपना शुद्ध मूल्य एवं अपनी पूंजी बढ़ाने के अतिरिक्त किसी दूसरे मद में अंशदान नहीं करेगी।

44 ख च।— राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु अयोग्यतायें।-(1) प्राथमिक कृषि साख सोसायटी को छोड़कर अन्य किसी सहकारी सोसायटी के सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के सदस्य को जिसमें उस सोसायटी के द्वारा 90 दिनों से अधिक की अवधि तक के लिए व्यतिक्रमी हो तो सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर निबंधक, सहयोग समितियां द्वारा उन्हें प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसायटी के प्रबन्ध समिति का सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के सदस्य को जिसमें उस सोसायटी के द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी हों तो, सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर निबंधक, सहयोग समितियां द्वारा उन्हें सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसायटी के प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि—

(क) वह व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो, या

(ख) वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को, उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसायटी के किसी बकाये के सम्बन्ध में सोसायटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(ग) उसे सोसायटी में किए गये किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किए गए किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची या खरीदी गई किसी संपत्ति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

(घ) उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा

(ड.) उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो।

(4) किसी निर्वाचित व्यक्ति को सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का सदस्य या पदधारक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सोसायटी के

बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी हो, जब तक सोसायटी का बकाया राशि सूद सहित उनके द्वारा जमा नहीं किया जाता है।

44 ख छ।-अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अवक्रमण।- (1) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) प्राथमिक कृषि साख सोसायटी के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा-41 के तहत् निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत ही किया जायेगा—

(क) अगर सोसायटी तीन साल लगातार घाटे में रहा हो, अथवा

(ख) यदि गंभीर वित्तीय अनियमतता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो, या

(ग) यदि इस परिणाम का न्यायिक निदेश हो, या

(घ) यदि तीन लगातार बैठकों में गणपूर्ति का अभाव रहा हो।

44 ख ज।- निर्वाचन।- (1) अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसायटी का निर्वाचन वर्त्तमान प्रबंध समिति के कार्यकाल समाप्ति के पूर्व कराया जाएगा तथा प्रबंध समिति के अवक्रमण की स्थिति में निबंधक उस सोसायटी के अवक्रमण की तिथि से छह महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा।

(2) जिस सोसायटी का अवक्रमण उपर्युक्त धारा-44(ख)(छ) के उप-कंडिका-क एवं ख में वर्णित परिस्थिति में हुआ है, उस प्राथमिक कृषि साख सोसायटी के प्रबंध समिति का सदस्य अवक्रमण से पांच वर्षों के लिए दुबारा चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा।

44 ख झ।- विवेकपूर्ण मानक।- निबंधक द्वारा सभी प्राथमिक कृषि साख सोसायटी के पूंजी का रिस्कवेटेड एसेट रेसियो सहित विवेकपूर्ण मानक का निर्धारण राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विशिष्ट रूप से किया जाएगा।

44 ख ञ।- निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की बर्खास्तगी।- (1) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करना होगा।

(2) कोई व्यक्ति राज्य सहकारी बैंक अथवा एक केन्द्रीय सहकारी बैंक के समिति के सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते हों, उक्त पद के लिए अयोग्य माने जायेंगे एवं यदि वह व्यक्ति पद पर पदासीन रहते हैं, तो रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक को इस परिणाम के परामर्श प्राप्त होने पर निबंधक द्वारा बर्खास्त किए जा सकेंगे।

44 ख ट।- राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध समिति में विशेषज्ञों का सहयोजन।- (1) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध के समिति में उतने ही विशेषज्ञों की संख्या रहेगी जितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सदस्य व्यावसायिक योग्यता अथवा अनुभव रखते हों।

(2) यदि ऐसे विशेषज्ञ राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध समिति में निर्वाचित नहीं होते हैं तो, ऐसे कमी की सीमा तक उनकी रिक्तियां ऐसे व्यक्तियों के प्रबन्ध समिति में सहयोजन के द्वारा भरी जाएगी तथा उन्हें पूर्ण मताधिकार होगा।

44 ख ठ।- लेखा का अंकेक्षण।- राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने लेखा का अंकेक्षण राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल के सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउन्टेंट) से करायेगा।

44 ख ड।- राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का विशेष अंकेक्षण।- (1) निबंधक, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर ऐसे विचारार्थ विषय जिस पर निबंधक की सहमति हो, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के विशेष अंकेक्षण करने की व्यवस्था करायेगा एवं रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय के अन्दर उसे रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेगा।

(2) निबंधक स्वत: या राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध समिति के अनुरोध पर ऐसे बैंक का विशेष अंकेक्षण कराने की व्यवस्था कराएगा।

44 ख ढ।- प्राथमिक कृषि साख सोसायटी द्वारा बैंक 'शब्द' के प्रयोग पर प्रतिबन्ध।- (1) कोई प्राथमिक कृषि साख सोसायटी 'बैंक', 'बैंकर' अथवा 'बैंकिग' शब्द के किसी दूसरे व्युत्पन्न का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) निबंधक उस प्राथमिक कृषि साख सोसायटी को अनिबंधित करेगा, जो इस धारा की उप-धारा-(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा।

44 ख ण।- कैडर प्रणाली को समाप्त करना।- अल्पकालिन साख संरचना में कोई कैडर प्रणालीं नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

44 ख त।- राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक का परिसमापन।- निबंधक रिजर्व बैंक के परामर्श पर राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का परिसमापन करने का आदेश देगा तथा एक माह के अन्दर परिसमापक की नियुक्ति करेगा।

44 ख थ।- रिजर्व बैंक के नियामक अधिकार का कार्यान्वयन।- इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावली में किसी बात के होते हुए भी राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में निबंधक, सहयोग समितियां द्वारा रिजर्व बैंक के नियामक अधिकारों को लागू कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

44 ख द-राज्य सरकार द्वारा छूट।- अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत कोई सोसाईटी रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक परामर्श के बिना इस अधिनियम की धारा-62(2) से किसी भी तरह इस अध्याय के प्रावधान के प्रयोग से विमुक्त नहीं हो सकेगा।''

8. अधिनियम 6, 1935 की धारा-47 की उप-धारा (2) का प्रतिस्थापन।-

उक्त अधिनियम की धारा-47 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''इस अधिनियम की धारा-45 क(3) के अधीन अपराध को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (5, 1898) के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध असंज्ञेय माना जाएगा।''

9. अधिनियम 6, 1935 की धारा-66 की उप-धारा (2) की उप कंडिका (vii) का संशोधन।-शब्द ''संगठित होगी'' के पश्चात् धारा-14 क की उप-धारा (1) के अधीन अथवा अन्यथा गठित प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालित होगा'' अंत: स्थापित किया जायगा।

10. अधिनियम 6, 1935 की धारा-66 की उप-धारा (2) की कंडिका (xxix) के पश्चात नई कंडिका (xxx) का जोड़ा जाना।- बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम 1935 की धारा-66 की उप-धारा-(2) की कंडिका (xxix) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी कंडिका (xxx) जोड़ी जायेगी:-

''(xxx) सदस्यता शुल्क की रीति विहित कर सकेगी एवं सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग सदस्यों जो किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों के खास वर्ग अथवा वर्गों से सम्बन्ध रखता हो के न्यूनतम हिस्सा-पूंजी का प्रावधान कर सकेंगे।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

---

30 अप्रील 2008

सं०-एल०जी०-1-05/2008-100-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रील, 2008 को अनुमत बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 18,2008]

THE BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2008

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1935

Preamble. — WHEREAS, it is a priority of the Government to achieve integrated development of agriculture with the objective of enhancing income generation in rural areas,

AND WHEREAS, it is envisaged that the co-operative societies, specially the primary agriculture credit societies and such other co-operative societies at grass root as well as higher levels, can play a major role in the development of agriculture in terms of supply of inputs as well as marketing of agriculture produce and their processing,

AND WHEREAS, it is imperative to improve the financial services rendered by credit co-operative societies and such other societies at all levels and to carry out reforms to make them more democratic, well governed and professionally managed in terms of the recommendations of the Vaidyanathan Committee constituted by Govt. of India for revival of the Short Term Cooperative Credit Structure,

AND WHEREAS, it is expedient to organise the primary agriculture credit societies with their area corresponding to that of the Gram Panchayat and to strive further to organise such other co-

operative societies at the Gram Panchayat level with the purpose of achieving uniformity and make the services rendered by such societies more accessible,

AND WHEREAS it is necessary to bring out certain amendments to the Bihar Co-operative Societies Act 1935,

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty ninth year of the Republic of India as follows: -

1. Short Title, Extent and Commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Insertion after Section-2(c) of the Act 6 of 1935.— The following clause (cc) shall be inserted after clause (c) of section–2 of the Bihar Co-operative Societies Act 1935, namely

"(cc) "Government" means State Government of Bihar,"

3. Addition after Section–2(k) of the Act 6 of 1935.— The following shall be added after Section–2(k) of the Bihar Co-operative Societies Act 1935, namely: -

"(l) "Short Term Co-operative Credit Structure" includes the State Co-operative Bank, Central Co-operative Banks and the Primary Agricultural Credit Societies;

(m)"National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section-3 of National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Act 61 of 81).

(n)"Reserve Bank" means Reserve Bank of India established under section-3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 34).

(o)"Affiliating Society" means a registered society of which another registered society is a member; and "affiliated society," means a registered society, which is a member of an "affiliating society".

(p)"Panchayat" means the Gram Panchayat notified as per Section-11 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 and amendments made there to from time to time,"

4. Addition of a new section-11A after section-11 of the Act 6 of 1935.—(1) The following Section-11A shall be inserted after section-11 of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935, namely: —

"*11A. Registration of societies not registered under this Act.*— Where a society registered under section-5 of the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 intends to convert itself into a co-operative society under this Act, it may apply for registration under provisions of this Act in accordance with procedure to be prescribed and notified by the Government."

5. Addition of a new Section-14A after Section-14 of the Act 6 of 1935.— The following Section-14A shall be inserted after Section-14 in the Bihar Co-operative Societies Act 1935, namely

"*14A. Election to the managing committee of certain registered societies.*— (1) The Government may by notification in the official gazette prescribe that election to the managing committee of a class or classes of registered societies shall be conducted by an authority, by whatever name such an authority may be known, created for the purpose of conduct of election to the managing committee of registered societies under this act and/or for any other body, organization, committee etc. and in the manner prescribed for the conduct of election by such authority.

(2) Notwithstanding any thing contained in any provision of this Act, rules made thereunder and bye laws of a registered society, the election to the managing committee of such class or classes of registered societies notified under sub-section (1) shall, after the date of such notification, be held in terms of the provision of this section, even if the process of election has commenced but the result of such election has not been declared prior to that date.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-section (9) of section-14 of this act, rules made there under and the bye laws of a registered society, the election to the managing committee of the class or classes of registered societies notified under sub-section (1)

shall be held within six months from the date of such notification which may further be extended for a period of six months.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-section (9) of section-14 of this act, rules made there under and the bye laws of a registered society, if the term of the managing committee of such registered societies notified under sub-section (1) expires after the notification under that sub-section, shall get extended till such time the managing committee is constituted after elections in terms of the provision contained in that sub section.

(5) Any registered society notified under sub-section (1) and after the constitution of its managing committee under sub-section (2) is superseded or ceases to exist for whatever reason, before the expiry of its term under sub-section (9) of section-14, the election to the managing committee for such society shall be conducted by the same authority as prescribed under sub-section (1). The term of such managing committee including the term held by earlier managing committee along with the period due to supersession or otherwise, if any, shall not exceed the period prescribed under the provision of sub-section (9) of section-14.

(6) No election to any class or classes of registered societies notified under sub-section (1) shall not be called in question except by way of an election petition filed within ninety days from declaration of the result of such election and the same shall be decided as a dispute under section-48 of this act. Such an election petition shall be filed before the Registrar or such other officer appointed to assist the Registrar under section-6 of this act."

6. Amendment in Section-44AQ of the Act 6 of 1935.— The following amendments shall be made to the section-44AQ of the Bihar Co-operative Societies Act, namely

(1) The sub-section (2) of Section-44AQ shall be substituted by the following, namely

"(2)(a) In order to achieve the objective of this Act, to bring uniformity in the operation of the societies under this Chapter, to enhance their strength and usefulness and to make them viable for the purpose of development of agriculture, the area of a Primary Agriculture Credit Society shall be co-terminus with that of a panchayat and there will be only one such society in each panchayat.

(b) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, If the area of a Primary Agriculture Credit Society is found not to be that of a panchayat as provided under sub-clause (a) of this sub-section, the Registrar or an officer authorized by Registrar to act on his behalf, who shall not be below the rank of Assistant Registrar, may order for reorganization including amalgamation or division of one or more such societies as the case may be and register the new society/societies after such reorganisation."

(2) The sub-section (3) of Section-44AQ of the said Act shall be substituted by the following, namely

"(3) Notwithstanding anything contrary in this Act, the society or societies which are reorganised under sub-section (2) along with its managing committee shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist from the date of registration of the new society/societies under sub-section (2) and the membership of such registered society shall stand transferred to the respective primary agriculture credit society created for the panchayat to which such members belong after reorganization under sub-section (2) and all the assets and liabilities thereof shall get divided/distributed amongst the new society/societies in the manner prescribed by the Registrar/ Government.

Provided that the State Govt. may from time to time, declare a moratorium on the liabilities of the new society/societies created under sub-section (2) of this Section."

(3) The sub-section (4) of Section-44AQ of the said Act shall be substituted by the following, namely

"(4)(a) Notwithstanding anything contrary in this Act, upon the reorganisation of societies under sub-section (2) of this section and establishment of new society/societies under sub-section (3) of this section, the Registrar/Government shall constitute or provide for constitution of an ad hoc managing committee for the purposes of managing the affairs of the new society/societies till such time as a new managing committee is constituted after elections under the provisions of this Act and the ad hoc managing committee so constituted shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(b) Notwithstanding anything contrary in this Act, upon the constitution of the new managing committee after elections under clause (a), the managing committee of all such affiliating societies of which a primary agriculture credit society is a member or federation of such affiliating societies, shall be reconstituted, as per provisions contained in this Act for constitution of the managing committee of such societies."

(4) The sub-section (5) of Section-44AQ of the Act shall be deleted.

(5) In sub-section (6) of Section-44AQ of the Act, the words "sub-section (5)" shall be substituted by the words "sub-section (2)" and the words "a membership fee of Rs. 1" shall be substituted by the words "the membership fee".

7. *Addition of a new Chapter VI-D after Chapter VI-C of the Act 6 of 1935.* — In the Bihar co-operative Societies Act, 1935 after chapter VI-C, the following chapter VI – D shall be incorporated, namely

"CHAPTER VI –D

Special Provisions applicable to societies in
Short Term Co-operative Credit Structure.

44AT. Overriding effect of Chapter VI-D.— Notwithstanding anything contrary or inconsistent contained in any other chapter of this Act or the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act 1996 or rules framed there under or bye-laws of any registered society or orders issued there under, the provisions of this chapter shall have overriding effect.

44AU. Ensuring membership of Primary Agricultural credit society to depositors and borrowers.—Every person who is a borrower or depositor of a Primary Agricultural Credit Society or wants to become a borrower or depositor of such society shall be compulsorily made a member or an associate member of such society in terms of sub-section (6) of section-44AQ with full voting rights.

44AV. Autonomy in all financial and internal administrative matters. — A co-operative society under Short Term Co-operative Credit Structure shall, have autonomy in all financial and internal administrative matters including the following areas: –

(*a*) Interest rates on deposits and loans in conformity with Reserve Bank guidelines

(*b*) Borrowing and investments,

(*c*) Loan policies and individual loan decisions,

(*d*) Personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff, and

(*e*) Appointment of auditors and compensation for the audit and internal control system.

44AW. Limit on State Government's subscription.— The State Government's subscription in the share capital of any Co-operative Society under the Short Term Co-operative Credit Structure shall not exceed 25% of the total paid up share capital of such society,

Provided that the State Government or such society shall have option to further reduce the subscription of the State Government and that the society shall not be prevented from doing so by the State Government.

44AX.Restriction on number of Government Nominees.—(1) There shall be only one Government nominee in the Managing Committee of the StateCo-operative Bank and Central Co-operative Banks.

(2)There shall be no Government nominee in the Managing Committee of a Primary Agricultural Credit Society.

44AY. Membership of an affiliating society. — (a) A co-operative society under the Short Term Co-operative Credit Structure registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 shall be eligible to be a member of an affiliating society registered under the provision of the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 in accordance with the procedure to be prescribed and notified by the Government.

(b) A co-operative society under the Short Term Co-operative Credit Structure registered under the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 may become the member of an affiliating society registered under this Act in accordance with the procedure to be prescribed and notified by the Government.

(2) A Co-operative Society under the Short Term Co-operative Credit Structure may become a member of an affiliating society of its choice or leave the membership of such society.

44AZ.Restriction regarding area of operation.— There shall be no restriction regarding area of operation for the conduct of business by a society under Short Term Co-operative Credit Structure.

44BA.Freedom of investment and deposit.— A Co-operative Society under the Short Term Co-operative Credit Structure will have freedom to invest or deposit its funds in any financial institution subject to guidelines framed by Reserve Bank.

44BB.Freedom of borrowings.—A co-operative society under Short Term Co-operative Credit Structure may obtain loans from any Reserve Bank regulated financial institution and refinance from National Bank or any other refinancing agency directly or through any Reserve Bank regulated financial institution of its choice and not necessarily from only the affiliating society to which it is affiliated.

44BC. Guidelines for payment of dividend by Primary Agricultural Credit Society. — The Registrar in consultation with National Bank shall issue general guidelines for payment of dividend by a Primary Agricultural Credit Society.

44BD. Contribution to any fund.— No society in Co-operative Credit Structure shall be directed to contribute any fund other than those for improving the net worth and own fund of the society.

44BE Disqualification of members of the managing committee to State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank.— (1) A member of the Managing Committee representing a co-operative society other than Primary Agricultural Credit Society in the Managing Committee of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank shall not be allowed to continue as a member of the managing committee by the Registrar in the event of such co-operative society committing a default for a period exceeding 90 (ninety) days on intimation of such default by the Chief Executive of the bank concerned.

(2) A member of Managing Committee representing a co-operative society under the Short Term Co-operative Credit Structure in the Managing Committee of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank shall not be allowed to continue as member by the Registrar in the event of such society committing a default for a period exceeding one year on intimation of such default by the Chief Executive of the bank concerned.

(3) No person shall be eligible for election to the managing committee of a co-operative society under Short Term Co-operative Credit Structure, if –

(a) such person is not a member of the society, or

(b) such person is in default to the society or any other registered society in respect of any loan taken by him or has any dues of the society on the date of filing of nomination, or

(c) he has directly or indirectly, any interest in any subsistent contract made with the society or in any property sold or purchased by the society or in any other transaction of the society, except in any investment made in, or any loan taken from the society;

(d) he has any proceeding for surcharge relating to any registered society pending against him.

(e) he has a criminal proceeding relating to any transaction of a registered society pending against him in which cognizance has been taken.

(4) No person elected as member or other office bearer in the management committee of a co-operative credit structure shall be allowed to act as such if he is in default for a period exceeding twelve months in payment of dues to the society unless the amount in default with due interest is paid to the society.

44BF.Supersession of Short Term Co-operative Credit Structure. — (1) The supersession of the Managing Committee of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank under section-41 of this Act shall be done by Registrar, Co-operative Societies in consultation with Reserve Bank.

(2) The supersession of the managing committee under section-41 of this Act of a Primary Agricultural Credit Society shall be done by Registrar, only under the following conditions :-

(a) if a society incurs losses for three consecutive years, or

(b) if serious financial irregularities or frauds have been identified, or

(c) if there are judicial directives to this effect, or

(d) if there is lack of quorum for three consecutive meetings.

44BG.Elections.— (1) The election to the managing committee of a co-operative society under the Short Term Co-operative Credit Structure shall be conducted before the expiry of the term of the existing Managing Committee and in case of supersession of the Managing Committee of such co-operative society; the election may invariably be conducted within six months from the date of supersession.

(2) A member of the Managing Committee of a Primary Agriculture Credit Society which has been superseded under the conditions mentioned in sub-clause (a) and (b) of section-44BG(2) shall not be entitled to contest again for a period of five years after such supersession.

44BH.The Prudential norms.— The prudential norms including Capital to Risk Weighted Assets Ratio shall be specified by the Registrar for all the Primary Agricultural Credit Society in consultation with National Bank.

44BI.Removal of Directors and Chief Executive Officers.— (1) The members of the Managing Committee or chief executive officer of the state co-operative Bank or central co-operative Bank shall fulfill such criteria as may be stipulated by RBI.

(2) A Person who does not fulfill the criteria for the post of chief Executive officer or a member in the committee of the state co-operative Bank or a central co-operative bank as stipulated by the Reserve Bank shall be treated as ineligible for such post and if such person is holding the post, he shall be removed by the Registrar on receipt of advice to this effect from the Reserve Bank or the National Bank.

44BJ. Co-option of professionals in Managing Committee of State Co-operative Bank and Central Co-operative Bank.— (1) The managing committee of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall have such number of professionals as members having the professional qualifications or experience as may be stipulated by Reserve Bank of India.

(2) If members with professional qualifications or experience as stipulated by the Reserve Bank are not elected in number specified by the Reserve Bank of India in the Committee of the State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank, to the extent of shortfall, such vacancies shall be filled by co-option of such persons in the committee and such co-opted members shall have full voting rights.

44BK. Audit of accounts.—The State Co-operative Bank or Central Co-operative Banks shall cause audit of its accounts by a Chartered Accountant selected from a panel approved by National Bank.

44BL. Special audit of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank.— (1) The Registrar shall arrange to conduct the special audit of State Co-operative Bank or Central Co-operative Banks, on the request of Reserve Bank on such specific terms of references as

agreed to by the Registrar and also arrange to furnish the report to Reserve Bank within the time stipulated by the Reserve Bank of India.

(2) The Registrar may also on its own motion or on the request of the Managing Committee of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank arrange to conduct the special audit of such bank.

44BM. Restriction of using word 'Bank' by the Primary Agricultural Credit Society.— (1) No Primary Agricultural Credit Society will use the word "Bank", "Banker" or "Banking" or any other derivative of the word "Bank".

(2) The Registrar shall deregister such Primary Agricultural Credit Society, which violates the provision of sub-section (1) of this section.

44BN. Abolition of Cadre system.— There shall not be any Cadre system in Co-operative Credit Structure with effect from such date as notified by the State Government.

44BO. Winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank.— The Registrar shall make an order for the winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank and appointment of a liquidator within one month if so advised by the Reserve Bank.

44BP. Implementation of regulatory prescriptions of Reserve Bank.— Not withstanding anything contained in this Act or Rules made there under, the Registrar shall ensure the implementation of regulatory prescriptions of the Reserve Bank in case of State Co-operative Bank and Central Co-operative Banks.

44BQ. Exemption by the State Government.— No society in the short term Co-operative Credit Structure shall be exempted under 62(2) of this Act in any manner from the application of the provisions of this chapter without prior consultation with the Reserve Bank or the National Bank."

8. Substitution of sub-section (2) of Section-47 of the Act 6 of 1935.— The sub-section (2) of Section-47 of the Bihar Co-operative societies Act 1935 shall be substituted by the following, namely: -

> " Every offence under the Act shall, for the purpose of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) be deemed to be non-cognisable except offence under section-45 A (3) of this Act."

9. Amendment of sub-clause (vii) of sub-section (2) of Section-66 of the Act 6 of 1935. — After the words "shall be constituted" in sub-clause (vii) of sub-section (2) Section-66 of the Bihar Co-operative Societies, the words "through election conducted by the authority constituted under sub-section (1) of section-14A or otherwise" shall be inserted.

10. Addition of new clause (xxx) after clause (xxix) of sub-section (2) of Section-66 of the Act 6 of 1935.— The following clause (xxx) shall be added after clause (xxix) of sub-section (2) of Section-66 of the Bihar Co-operative societies Act 1935, namely

"(xxx) prescribe the membership fee and provide for financial assistance for contribution towards such fee as well as minimum share capital to women, scheduled caste, scheduled tribe and backward class member belonging to a class or classes of registered societies which may be limited to maximum one member from a family."

By order of the Governor of Bihar,
YOGENDRA PRASAD,
Secretaty to the Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 295-571+400- डी०टी०पी०।-